न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 76/2009 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. जगराम पुत्र बुद्धा जाति जाट
2. श्योराम पुत्र बुद्धा जाति जाट निवासीयान ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान
3. समाकौर पुत्री फूलिया जाति जाट निवासी ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:----- अपीलांटस

बनाम

1 रामसिंह पुत्र कान्हाराम
2 हरिसिंह पुत्र कान्हाराम जातियान जाट निवासीयान ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान
3 तहसीलदार, मुण्डावर जिला अलवर

:----- रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर
दिनांक 11.6.2009

उपस्थित :–

1. वकील अपीलांट :– श्री गोविन्द राम यादव
2. वकील रेस्पो0सं01,2 :– बावजूद सूचना उपस्थित नहीं ।
3. राजकीय अभिभाषक :– श्री अमर चन्द चौधरी

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

निर्णय

दिनांक 16.03.2021

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा मुकदमा नम्बर 120/07 में पारित निर्णय दिनांक 11.6.2009 के खिलाफ है,जिस निर्णय के द्वारा प्रार्थी वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट खारिज किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी प्रार्थी ने तहत अदालत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 321 मिन रकबा 16 बिस्वा, 376 मिन रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, 378 मिन रकबा 03 बिस्वा हाल खसरा नम्बरान 593 रकबा 62 एयर वाके ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर रामलाल, फूलिया पुत्र श्योजी व बुद्धा पुत्र पिराना की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी रही है । प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 बुद्धा के पुत्र हैं तथा प्रार्थी नम्बर 3 फूलिया की पुत्री है । रामलाल लावल्द फौत हो गया तथा बुद्धा, रामलाल, फूलिया भी फौत हो गये हैं । सम्वत 2029 में बंदोबस्त विभाग ने उक्त साबिक खसरा नम्बर 321 मिन को खसरा नम्बर 376 व 378 के साथ मिलाकर नया खसरा नम्बर 593 बनाया, जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का नाम गलत तौर पर दर्ज कर दिया । इस गलत इन्द्राज की आड में वे आराजी को खुर्द बुर्द करना चाहते हैं । अतः उन्हें पाबन्द किया जावे । तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जिसकी यह अपील वादी प्रार्थी ने प्रस्तुत की है ।

3 बहस में विद्वान वकील वादी अपीलांट ने तर्क दिये कि विवादित आराजी को बंदोबस्त विभाग ने गलत तौर पर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी । बंदोबस्त विभाग को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है । उसे पुराने इन्द्राजात को दोहराने का ही अधिकार है । प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में माना है कि कब्जा होने के आधार पर बंदोबस्त विभाग ने उनको खातेदार दर्ज किया है । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि बंदोबस्त विभाग को कब्जे के आधार पर किसी को खातेदारी देने का अधिकार नहीं है । तहत अदालत ने यह माना है कि हक हकूकों का निर्णय वाद में तय होना है, परन्तु तहत अदालत ने इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया कि मूल वाद के निर्णय तक गलत इन्द्राज की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

आड में प्रतिवादीगण आराजी को खुर्द बुर्द कर सकते हैं । तहत अदालत का
4 निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।
5 वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं ।
राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुये विद्वान राजकीय अभिभाषक ने
तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत बताया और अपील खारिज किये जाने
6 का निवेदन किया ।
हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील अपीलांट एवं विद्वान
राजकीय अभिभाषक की बहस तर्कों पर गौर किया। तहत अदालत की
पत्रावली में संलग्न राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से सिद्ध है कि विवादित भूमि
प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज है । वर्तमान में प्रतिवादीगण खातेदार दर्ज है
। माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि
एक रेकार्डेड खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती
। चूंकि प्रतिवादीगण अपीलांट रेकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है । ऐसी
स्थिति में धारा 212 आर0 टी0 एक्ट के तीनों बिन्दू प्रथमदृष्टतया मामला,
सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति प्रतिवादीगण रेस्पो0 के हक में साबित
है । ये तीनों बिन्दू वादी प्रार्थी अपीलांट के पक्ष में साबित नहीं होने से विद्वान
तहत अदालत ने सही तौर पर प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जिसमें हम किसी
प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील खारिज किये जाने
योग्य है ।
7 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत का
निर्णय दिनांक 11.6.2009 यथावत रखा जाता है ।
8 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर